

संख्या-1756/22-4-13-48(23)/12

प्रेषक,

आर०के० द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

✓
महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उ०प्र०, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

लखनऊ:दिनांक-25 नवम्बर, 2013

विषय:- जिला कारागार, इटावा में 64 नम दिन शौचालय, बाथिंग स्लेटफार्म, सैप्टिक टैंक, सोकपिट, नाली एवं इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1594/22-4-13-48(23)/12, दिनांक-21 नवम्बर, 2013, जिसके द्वारा विषयान्तर्गत कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल ₹0-18,17,000/- (रुपया अट्ठारह लाख सत्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित धनराशि ₹0-18,17,000/- (रुपया अट्ठारह लाख सत्रह हजार मात्र) के स्थान पर "₹0-18,27,000/- (रुपया अट्ठारह लाख सत्ताइस हजार मात्र)" पढ़ा जाय तथा उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आर०के० द्विवेदी
IV

आर०के० द्विवेदी
(आर०के० द्विवेदी)
अनु सचिव।

26.11.13 संख्या-1756(1)/22-4-2013-तददिनांक-

नियंत्रण
सिमा
अनु

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिटर), उ०प्र०,इलाहाबाद।
 - 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र० इलाहाबाद।
 - 3- प्रबन्धक निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम लि० लखनऊ।
 - 4- जिलाधिकारी, इटावा
 - 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
 - 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/2
 - 8- गार्ड फाइल।

27/11/13

14175

आज्ञा से,
आर०के० द्विवेदी
अनु सचिव।

आज्ञा से,

(आर०के० द्विवेदी)
अनु सचिव।